FORM NO III APP-A

फर्द अहकाम Crim-1

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बल्ला पुत्र हरलाल जाति जाट बनाम श्रीमती कंवरी देवी पुत्री हरकरण जाति जाट व अन्य

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 00003 सन् 2020 (निगरानी)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री सुण्डाराम जाट श्री	
17.1.20	यह अपील श्री सुण्डाराम जाट एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 07.01.2020, प्रकरण संख्या 01/2020 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 11 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14, 15 के पूर्वज काना थे। काना के दो पुत्र हरकरण एवं हरलाल हुए। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14,15 हरलाल के वारिसान है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 11 हरकरण के वारिसान है। इस प्रकार हरकरण एवं हरलाल का वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा निहित हैं। इसी आधार पर हरलाल के वारिसान अपीलार्थी एवं प्रर्फोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या14,15 वादग्रसत आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार है तथा हरकरण के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 11 वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्सा के खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर गम्भीर त्रुटि कारित की है क्योंकि अपीलार्थी एवं प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट स्ंख्या 14, 15 के 1/2 हिस्सा भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 11 का कोई लेना देना नहीं है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी एवं प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट संख्या 14,15 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2020 की ऑडरशीट में अंकित किया है कि वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 07.01.2020 को पेश होने के आदेश दिये। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी नहीं किये गये बल्कि विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीगण की अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनवाई करते हुए सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर गंभीर त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 3 का मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नहीं है जबकि वादग्रस्त आराजी पर प्रारम्भ से आज तक अपीलार्थी का कब्जा काश्त है एवं अपीलार्थी ही वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रकरण पूर्णतया प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू भी पूणतयों अपीलार्थी के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2020 को निरस्त किया जावें। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कराने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

00003/2020

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अपील मीमो व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 07.01.2020 को पेश होने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.01.2020 के आदेश के तहत् अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना ही दिनांक 07.01.2020 को सम्पूर्ण विवादित आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 00–6–00 गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 113 रकबा 00–06–00 गै0मु0चाह एवं खसरा नम्बर 114 रकबा 37–14–00 बीघा वाकै ग्राम बांसड़ा मेहरान तहसील किशनगढ़ की आगामी पेशी तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है,जो विधि सम्मत नहीं है। विवादित आराजी बाबत् के अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही होगा, परन्तु हस्तगत प्रकरण में धारा 212 के प्रावधानों के तहत् परीक्षण होना है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14, 15 प्रश्नगत आराजी के 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबंद नहीं किया जा सकता है। जिसकी पुष्टि आर.आर.टी. 2017(2) पेज 907 पर प्रतिपादित सिद्धान्त से भी होती है। इस प्रकार उपरोक्त प्ररिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2020 विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का आदेश दिनांक 07.01.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय 60 दिवस में पारित करें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

17/1/20

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर